

प्रेस विज्ञप्ति

19.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इम्फाल उप आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इम्फाल पूर्व दिनांक 15.07.2025 से आदेश प्राप्त करने के बाद 63.52 करोड़ रुपये के लामजिंगबा वित्त के मामले में जब्त की गई संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। उक्त आदेश के माध्यम से लगभग 5000 भोले-भाले निवेशकों के दावों को नीलामी और वापसी के माध्यम से कुर्क संपत्तियों की वापसी के लिए रिकॉर्ड में लिया गया है। इस मामले में ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की है, जिसमें चल और अचल संपत्तियों में 87 करोड़ रु. की जब्ती की प्रार्थना की गई है, जो पहले कुर्क की गई थीं।

ईडी ने सनासम जैकी सिंह और लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई 7 (सात) प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि सनासम जैकी सिंह की अध्यक्षता वाली लामजिंगबा समूह एक कपटपूर्ण निवेश/जमा योजना का संचालन कर रही थी, जिसने निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का वादा किया और इस तरह कई भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया था। इन पैसों का उपयोग कई संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था। सनासम जैकी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। सनासम जैकी सिंह, एम. रोबिंद्रो सिंह और लामजिंगबा ग्रुप कंपनियों के खिलाफ माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) के समक्ष 20.03.2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी ने शिकायत में 63.52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की निवेदन भी किया। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

इस मामले में, पहले 60 निवेशकों ने माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), इम्फाल ईस्ट के समक्ष कुर्क संपत्तियों की वापसी के लिए याचिका दायर की थी। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इम्फाल ईस्ट ने 21.03.2025 को एक आदेश पारित करने की कृपा की, जिसमें धन शोधन निवारण (संपत्ति की प्रत्याहरण) नियम, 2016 के 3 (क) के अनुसार कुर्क संपत्तियों की वापसी के लिए इच्छुक व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करने वाले दो समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था और इसे प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, लगभग 5000 निवेशकों ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत किए हैं।

आगे की जांच चल रही है।